गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 074
दि. 13.07.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस कांगड़ा में हादसे का शिकार, 17 घायल; चार की हालत गंभीर, चालक-परिचालक फरार

कांगड़ा। अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक टूरिस्ट बस रविवार देर रात हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग-44 (एनएच-44) पर डमटाल थाना क्षेत्र के मोहटली रैंप के समीप बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के समय बस में कुल 57 श्रद्धालु सवार थे, जो जम्मू-कश्मीर के कटड़ा से उत्तराखंड के देहरादून लौट रहे थे। दुर्घटना में 17 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर उपचार के लिए डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, टांडा रेफर किया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। मुख्यमंत्री ने भी घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

पुलिस के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त बस लक्ष्मी हॉलीडेज की थी, जो अमरनाथ यात्रा पूरी कर लौट रहे श्रद्धालुओं को लेकर कटड़ा से देहरादून जा रही थी। रविवार देर रात जब बस डमटाल थाना क्षेत्र के मोहटली रैंप के पास पहुंची, तभी चालक अचानक वाहन से नियंत्रण खो बैठा। तेज रफ्तार में चल रही बस संतुलन बिगड़ने के बाद सड़क पर पलट गई। बस पलटते ही यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई और चारों ओर चीख-पुकार सुनाई देने लगी। कई यात्री बस के भीतर ही फंस गए, जबकि कुछ को गंभीर चोटें आईं।

हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण और राहगीर घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए बस के भीतर

फंसे यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया और घायलों को प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराई। कई लोगों ने अपने निजी वाहनों से भी घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाने में मदद की। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि स्थानीय लोगों की तत्परता के कारण राहत कार्य समय रहते शुरू हो गया, जिससे कई यात्रियों की जान बचाई जा सकी।

सूचना मिलते ही डमटाल थाना पुलिस, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और आपदा राहत दल घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने दुर्घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए यातायात बहाल कराया, जबकि स्वास्थ्य विभाग की एंबुलेंसों के माध्यम से सभी घायलों को निकटवर्ती अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जिन यात्रियों को गंभीर चोटें आई थीं, उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया।

राहत कार्य के दौरान एक मानवीय पहलू भी सामने आया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के समय अर्नी विश्वविद्यालय के चांसलर डॉ. विवेक सिंह भी उसी मार्ग से गुजर रहे थे। दुर्घटना देखते ही उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और स्वयं राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। उनके निर्देश पर विश्वविद्यालय की एंबुलेंस और चिकित्सकीय टीम भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। विश्वविद्यालय के चिकित्सकों और कर्मचारियों ने पुलिस तथा स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने और प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

दुर्घटना के बाद बस चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हादसा चालक की लापरवाही, वाहन की तकनीकी खराबी, तेज रफ्तार या किसी अन्य कारण से हुआ। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर उसकी तकनीकी जांच शुरू कर दी है। साथ ही घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं।

डमटाल थाना पुलिस ने इस मामले में मोटर वाहन अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जाएगी। यदि जांच में चालक की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन के अनुसार, अधिकांश घायल श्रद्धालुओं की स्थिति अब खतरे से बाहर है और उनका उपचार विभिन्न अस्पतालों में जारी है। चिकित्सकों की निगरानी में भर्ती चार गंभीर घायलों की हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने उनके इलाज के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम तैनात की है।

मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सभी प्रभावित यात्रियों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगी और घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के परिजनों से भी संपर्क करना शुरू कर दिया है ताकि उन्हें दुर्घटना की जानकारी और उपचार संबंधी आवश्यक सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराई जा सकें।

अमरनाथ यात्रा के दौरान और उसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़क मार्ग से अपने-अपने राज्यों को लौटते हैं। ऐसे में यह हादसा एक बार फिर लंबी दूरी की यात्री बसों की सुरक्षा, चालक की सतर्कता और वाहनों की तकनीकी जांच को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल प्रशासन का पूरा ध्यान घायलों के उपचार, दुर्घटना की जांच और फरार चालक एवं परिचालक की तलाश पर केंद्रित है।

तमिल अभिनेता आर्या पर 1.80 करोड़ रुपये की भुगतान अनियमितता का आरोप, हैदराबाद में एफआईआर दर्ज

हैदराबाद। दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग के चर्चित अभिनेता आर्या कानूनी विवाद में घिर गए हैं। हैदराबाद की एक फिल्म उपकरण उपलब्ध कराने वाली कंपनी ने अभिनेता और फिल्म निर्माण से जुड़े प्रतिनिधियों पर 1.80 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला फिल्म 'अनंतन काडू' की शूटिंग के दौरान किराये पर लिए गए तकनीकी उपकरणों के भुगतान से जुड़ा बताया जा रहा है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हैदराबाद स्थित ताहेर सिने टेक्निक कंपनी के एक अधिकारी ने 10 जुलाई को संबंधित थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। कंपनी का कहना है कि फिल्म निर्माण के लिए आवश्यक कैमरे, लाइटिंग, तकनीकी मशीनें और अन्य शूटिंग उपकरण उपलब्ध कराने के लिए उनसे संपर्क किया गया था। उस समय कंपनी को भरोसा दिलाया गया था कि उपकरणों का पूरा किराया निर्धारित समय पर चुका दिया जाएगा।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि फिल्म 'अनंतन काडू' के निर्माण से जुड़े

प्रतिनिधियों ने व्यावसायिक समझौते के तहत कंपनी से करोड़ों रुपये मूल्य के उपकरण किराये पर लिए थे। कंपनी का दावा है कि उपकरणों का उपयोग फिल्म की शूटिंग में किया गया, लेकिन काम पूरा होने के बाद भी तय समय पर भुगतान नहीं किया गया। कई बार भुगतान की मांग किए जाने के बावजूद बकाया राशि का निपटारा नहीं किया गया।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि फिल्म के मुख्य अभिनेता होने के नाते आर्या ने स्वयं भुगतान का भरोसा दिलाया था और व्यक्तिगत रूप से यह आश्वासन दिया था कि कंपनी को उसकी पूरी राशि समय पर मिल जाएगी। कंपनी का कहना है कि इसी भरोसे के आधार पर उसने महंगे उपकरण उपलब्ध कराए, लेकिन बाद में भुगतान नहीं किया गया, जिससे उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

कंपनी के अनुसार, बकाया राशि अब 1.80 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है। भुगतान को लेकर कई बार बातचीत और संपर्क के प्रयास किए गए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। इसके बाद कंपनी ने कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी अनुबंध से जुड़े दस्तावेज, भुगतान रिकॉर्ड, उपकरण उपलब्ध कराने से संबंधित बिल, समझौते और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर फिल्म निर्माण कंपनी के प्रतिनिधियों और संबंधित पक्षों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे।

फिलहाल अभिनेता आर्या या फिल्म 'अनंतन काडू' के निर्माताओं की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब फिल्म उद्योग में वित्तीय पारदर्शिता, अनुबंधों के पालन और समय पर भुगतान को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। फिल्म निर्माण में तकनीकी सेवाएं देने वाली कंपनियां लंबे समय से समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने की मांग उठाती रही हैं। अब इस मामले की जांच के निष्कर्ष पर सभी की नजरें टिकी हैं।

महिलाओं की सुरक्षा को नई मजबूती: पंजाब में महिला सहायता डेस्क पर साढ़े तीन वर्षों में 2.31 लाख से अधिक शिकायतों का निस्तारण

चंडीगढ़। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की शिकायतों के त्वरित और संवेदनशील निस्तारण के उद्देश्य से पंजाब पुलिस द्वारा शुरू की गई महिला सहायता डेस्क पहल उल्लेखनीय परिणाम देती दिखाई दे रही है। राज्य के सभी पुलिस थानों में स्थापित इन सहायता डेस्कों पर पिछले साढ़े तीन वर्षों में 2.31 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। पुलिस का दावा है कि इस पहल ने न केवल महिलाओं के लिए पुलिस तक पहुंच को आसान बनाया है, बल्कि थानों को अधिक संवेदनशील, भरोसेमंद और महिला-अनुकूल बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान के लिए राज्यभर में व्यापक स्तर पर महिला सहायता डेस्क स्थापित की गई हैं। इन डेस्कों के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने, कानूनी जानकारी प्राप्त करने, परामर्श लेने और आवश्यक पुलिस सहायता हासिल करने में पहले की तुलना में अधिक सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य केवल शिकायत दर्ज करना नहीं, बल्कि पीड़ितों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराना भी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पंजाब पुलिस ने 39 विशेष प्रयोजन पुलिस थानों सहित राज्य के सभी 424 पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क स्थापित की हैं। इन डेस्कों के संचालन के बाद से अब तक महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से संबंधित 2,31,677 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में शिकायतों का दर्ज होना इस बात का संकेत है कि महिलाओं का पुलिस व्यवस्था पर विश्वास बढ़ा है और वे अब बिना झिझक अपनी समस्याएं पुलिस के समक्ष रख रही हैं। राज्य सरकार द्वारा विकसित पंजाब शिकायत निवारण (पीजीडी) पोर्टल ने भी शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण और उनके त्वरित निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2026 के बीच इस पोर्टल पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से संबंधित 1,33,152 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 99,692 शिकायतें पंजाब पुलिस महिला मित्र (पीपीएमएम) को सौंपी गईं, जिनका सफलतापूर्वक समाधान किया गया। अधिकारियों के अनुसार, डिजिटल प्रणाली लागू होने से शिकायतों की निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई पहले की तुलना में अधिक प्रभावी हुई है। महिलाओं तक पुलिस सेवाओं को और अधिक तेज़ी से पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने महिला पुलिसकर्मियों को आधुनिक संसाधनों से भी सशक्त बनाया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने महिला मित्र परियोजना और महिला सहायता डेस्क में कार्यरत महिला पुलिसकर्मियों के लिए 93 इलेक्ट्रिक स्कूटरों की मंजूरी दी है। हाल ही में डीजीपी गौरव यादव ने इन स्कूटरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस का कहना है कि इन वाहनों की मदद से महिला पुलिसकर्मी शिकायत मिलने पर तेजी से घटनास्थल तक पहुंच सकेंगी तथा पीड़ित महिलाओं और बच्चों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि वर्तमान में राज्य के सभी 424 पुलिस थानों में कुल 848 'पंजाब पुलिस महिला मित्र' तैनात हैं। इन महिला पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों को संवेदनशीलता के साथ संभालने का प्रशिक्षण दिया गया है। उनका कार्य केवल शिकायत दर्ज करना ही नहीं, बल्कि पीड़ितों को कानूनी अधिकारों की जानकारी देना, आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराना और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना भी है। उन्होंने कहा कि महिला सहायता डेस्क और महिला मित्र परियोजना के कारण पुलिस और समाज के बीच विश्वास का रिश्ता मजबूत हुआ है। पहले कई महिलाएं सामाजिक दबाव, संकोच या असुरक्षा की भावना के कारण पुलिस तक नहीं पहुंच पाती थीं, लेकिन अब महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के कारण शिकायत दर्ज कराने में उन्हें अधिक सहजता महसूस होती है। इससे घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, छेड़छाड़, साइबर अपराध, बाल संरक्षण और अन्य संवेदनशील मामलों की रिपोर्टिंग में भी वृद्धि हुई है। पंजाब पुलिस ने वर्ष 2021 में महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पीड़ित-केंद्रित पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'महिला मित्र' परियोजना की शुरुआत की थी। इससे पहले ऐसे अधिकांश मामलों की जांच और शिकायतों का प्रारंभिक निस्तारण मुख्य रूप से पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा किया जाता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महिलाओं से जुड़े मामलों में प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मियों की भूमिका बढ़ाई गई, जिससे शिकायतकर्ताओं का विश्वास भी मजबूत हुआ। वर्तमान में पंजाब में 10 महिला पुलिस थाने और 15 महिला प्रकोष्ठ भी संचालित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर महिलाओं को कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श, पारिवारिक विवादों में मध्यस्थता, घरेलू हिंसा से संबंधित सहायता तथा अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन संस्थागत व्यवस्थाओं का उद्देश्य केवल अपराध दर्ज करना नहीं, बल्कि पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने और उन्हें सामाजिक एवं कानूनी सहयोग प्रदान करने की समग्र व्यवस्था विकसित करना है। पंजाब पुलिस का मानना है कि महिला सहायता डेस्क और महिला मित्र जैसी पहलें भविष्य में भी महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत करेंगी। पुलिस विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में इन सेवाओं को और अधिक तकनीकी संसाधनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और डिजिटल सुविधाओं से सशक्त बनाया जाएगा, ताकि महिलाओं और बच्चों को त्वरित, पारदर्शी और संवेदनशील पुलिस सहायता लगातार उपलब्ध कराई जा सके।

विदेश में बैठे अपराधियों पर भारत का सबसे बड़ा शिकंजा, 'ऑपरेशन ग्लोबल हंट' के तहत 180 मोस्ट वॉन्टेड के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस

नई दिल्ली। विदेशों में बैठकर भारत में हत्या, आतंकवाद, टेरर फंडिंग, संगठित अपराध, जबरन वसूली और ड्रग्स तस्करी जैसे गंभीर अपराधों का नेटवर्क संचालित करने वाले गैंगस्टरों और आतंकियों के खिलाफ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक का सबसे बड़ा समन्वित अभियान शुरू किया है। 'ऑपरेशन ग्लोबल हंट' नाम से चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत इंटरपोल और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से विदेशों में छिपे भारत के मोस्ट वॉन्टेड अपराधियों को कानून के दायरे में लाने तथा उनके अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने की रणनीति पर तेजी से काम किया जा रहा है। अभियान के दौरान पिछले कुछ महीनों में रिकॉर्ड संख्या में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए हैं और अपराधियों की आर्थिक जड़ों पर भी लगातार प्रहार किया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, कनाडा, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात (दुबई), मलेशिया और पाकिस्तान जैसे देशों में छिपे कई गैंगस्टर और आतंकी भारत में अपने गुर्गों के माध्यम से हत्या, रंगदारी, हथियारों की तस्करी और आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इन संगठित अपराध सिंडिकेटों की कमर तोड़ने के लिए केवल भारत के भीतर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। इसी उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन एजेंसियां और इंटरपोल मिलकर काम कर रहे हैं।

इस हाई-प्रोफाइल अभियान के तहत अब तक करीब 180 मोस्ट वॉन्टेड अपराधियों और आतंकवादियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी किए

जा चुके हैं। रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल द्वारा जारी वह अंतरराष्ट्रीय अलर्ट होता है, जिसके माध्यम से किसी भी सदस्य देश को संबंधित आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने और प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा लगभग 110 संदिग्धों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किए गए हैं। ब्लू कॉर्नर नोटिस का उपयोग किसी आरोपी की गतिविधियों, पहचान और वर्तमान ठिकाने की जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है।

सुरक्षा एजेंसियों ने केवल गिरफ्तारी तक अपने अभियान को सीमित नहीं रखा है, बल्कि अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को भी निशाना बनाया है। जांच एजेंसियों के अनुसार, 2,500 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज किया जा चुका है, जिनका संबंध इन गैंगस्टरों और आतंकियों के नेटवर्क से होने का संदेह है। दिल्ली पुलिस सहित विभिन्न राज्यों की पुलिस, एनआईए और अन्य केंद्रीय एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन खातों को सील किया है ताकि अपराध और आतंक के लिए इस्तेमाल होने वाले वित्तीय संसाधनों पर रोक लगाई जा सके।

अधिकारियों का कहना है कि संगठित अपराध और आतंकवाद की सबसे बड़ी ताकत उसका आर्थिक ढांचा होता है। इसी कारण अब जांच एजेंसियां केवल अपराधियों की गिरफ्तारी पर नहीं, बल्कि उनकी संपत्तियों, बैंक खातों, निवेश और अवैध वित्तीय नेटवर्क को समाप्त करने पर भी विशेष ध्यान दे रही हैं। एजेंसियों का मानना है कि यदि आर्थिक स्रोत बंद कर दिए जाएं तो ऐसे आपराधिक नेटवर्क स्वतः कमजोर पड़ जाएंगे।

इसी रणनीति के तहत देशभर में कई चर्चित गैंगस्टरों की संपत्तियों को कुर्क या जब्त करने की कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। जांच एजेंसियों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े कई सदस्यों के अलावा कौशल चौधरी, अमित डागर, इरफान उर्फ छेनू पहलवान, आसिफ खान, दाऊद इब्राहिम और इकबाल मिर्ची से जुड़ी विभिन्न राज्यों में स्थित संपत्तियों पर कार्रवाई की है। कई स्थानों पर अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं, जबकि संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की भी जांच जारी है।

आतंकवाद से जुड़े मामलों में भी सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है। गुरपतवंत सिंह पन्नू, अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला, लखबीर सिंह रोडे, अंकुश कपूर तथा हिज्बुल मुजाहिदीन से जुड़े नेटवर्क के कई आरोपियों की पंजाब, जम्मू-कश्मीर और अन्य राज्यों में स्थित संपत्तियों पर भी कानूनी कार्रवाई की गई है। एजेंसियों का उद्देश्य इन संगठनों की आर्थिक क्षमता को कमजोर करना और उनके समर्थकों के नेटवर्क को तोड़ना है।

सूत्रों के अनुसार, ऑपरेशन ग्लोबल हंट केवल गिरफ्तारी अभियान नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध और आतंकवाद के खिलाफ भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इसके तहत विदेशों में मौजूद आरोपियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। विभिन्न देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान बढ़ाया गया है और प्रत्यर्पण संबंधी प्रक्रियाओं को भी तेज किया जा रहा है।

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के वर्षों में कई गैंगस्टरों और आतंकी संगठनों ने विदेशों में सुरक्षित ठिकाने बनाकर भारत में आपराधिक गतिविधियों का संचालन शुरू किया है। इंटरनेट आधारित संचार, हवाला नेटवर्क, सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय चैनलों का इस्तेमाल कर ये संगठन अपने नेटवर्क को सक्रिय रखते हैं। ऐसे में केवल स्थानीय स्तर पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं होती। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, वित्तीय निगरानी और कानूनी समन्वय के माध्यम से ही ऐसे नेटवर्क को प्रभावी ढंग से समाप्त किया जा सकता है।

केंद्रीय एजेंसियों का कहना है कि आने वाले समय में भी ऑपरेशन ग्लोबल हंट के तहत कार्रवाई और तेज की जाएगी। जिन अपराधियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही देश और विदेश में फैले उनके आर्थिक एवं आपराधिक नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए समन्वित अभियान लगातार जारी रहेगा। भारत की सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस अभियान से संगठित अपराध और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक बढ़त हासिल करने में महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है।

संपादकीय

प्रत्याशी चयन में चूक से उठे सवाल, भाजपा के सामने संगठनात्मक कसौटी

भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से स्वयं को एक अनुशासित, संगठित और कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल के रूप में प्रस्तुत करती रही है। पार्टी की सबसे बड़ी ताकत यह मानी जाती है कि उसके यहां निर्णय व्यक्तिगत पसंद-नापसंद के बजाय संगठनात्मक प्रक्रिया के आधार पर लिए जाते हैं। यही कारण है कि अन्य दलों की तुलना में भाजपा का प्रत्याशी चयन अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थित माना जाता रहा है। किंतु हाल के दिनों में बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव से जुड़े घटनाक्रमों ने इस धारणा पर कई प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। इन दोनों घटनाओं ने यह संकेत दिया है कि तेजी से बढ़ते राजनीतिक विस्तार के साथ पार्टी के सामने आंतरिक समन्वय, प्रत्याशी चयन और कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं को संतुलित रखने की चुनौती भी बढ़ती जा रही है।

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का मामला विशेष रूप से चर्चा में रहा। यह सीट भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद रिक्त हुई थी। स्वाभाविक रूप से यह उपचुनाव केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं, बल्कि पार्टी की प्रतिष्ठा और संगठनात्मक क्षमता की परीक्षा भी बन गया। भाजपा ने पहले अभिषेक कुमार को अपना प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही उन्होंने यह कहते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया कि पारिवारिक कारणों से वे चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके बाद पार्टी ने तत्काल नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित कर दिया। राजनीतिक दृष्टि से यह घटनाक्रम कई सवाल खड़े करता है। किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी में प्रत्याशी चयन से पहले विस्तृत जांच-पड़ताल, संगठनात्मक रिपोर्ट, स्थानीय समीकरण और उम्मीदवार की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि का मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे में यदि कोई प्रत्याशी अचानक चुनाव मैदान छोड़ देता है तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या चयन प्रक्रिया में पर्याप्त सावधानी बरती गई थी या फिर किसी महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी हुई थी। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी रही कि जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत किशोर अभिषेक कुमार की पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़े कुछ तथ्यों को सार्वजनिक करने वाले थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद भाजपा ने परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्याशी बदलने का निर्णय लिया। इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यदि ऐसी आशंकाएं सही थीं तो इससे यह प्रश्न और गंभीर हो जाता है कि जो जानकारी विपक्ष को उपलब्ध थी, क्या वह भाजपा के संगठनात्मक तंत्र और स्थानीय नेतृत्व की जानकारी में नहीं थी? यदि थी तो फिर प्रारंभिक चयन क्यों किया गया और यदि नहीं थी तो यह संगठन की जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है।

दूसरी ओर मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र का मामला अलग प्रकार की चुनौती प्रस्तुत करता है। यहां पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा स्वयं को स्वाभाविक दावेदार मान रहे थे। उन्होंने चुनावी तैयारियां भी प्रारंभ कर दी थीं और उनके समर्थकों को भी विश्वास था कि पार्टी टिकट उन्हीं को मिलेगा। लेकिन जब पार्टी ने किसी अन्य उम्मीदवार को मैदान में उतारा तो उनके समर्थकों ने खुलकर विरोध किया। सड़क जाम, धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी, यहां तक कि पत्थरबाजी जैसी घटनाएं भी सामने आईं। कई स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों ने विरोध स्वरूप अपने पदों से इस्तीफा तक दे दिया। यद्यपि बाद में नरोत्तम मिश्रा ने सार्वजनिक रूप से अपने समर्थकों के विरोध के तरीके को उचित नहीं बताया, फिर भी यह घटना भाजपा के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाली रही। जिस पार्टी की पहचान अनुशासन और संगठनात्मक संस्कृति से जुड़ी रही हो, वहां इस प्रकार का सार्वजनिक विरोध स्वाभाविक रूप से उसकी छवि को प्रभावित करता है। इससे यह संदेश भी जाता है कि टिकट वितरण को लेकर असंतोष केवल अन्य दलों तक सीमित नहीं है, बल्कि भाजपा भी इससे अछूती नहीं रही। दरअसल, भाजपा का तेजी से बढ़ता जनाधार और राजनीतिक विस्तार उसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, लेकिन यही विस्तार नई चुनौतियां भी लेकर आया है। पहले जहां किसी सीट पर सीमित दावेदार होते थे, वहीं अब अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में कई प्रभावशाली नेता टिकट के इच्छुक रहते हैं। ऐसे में किसी एक उम्मीदवार का चयन स्वाभाविक रूप से असंतोष को जन्म देता है। चुनौती यह नहीं कि असंतोष क्यों है, बल्कि यह है कि उस असंतोष का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए और संगठनात्मक अनुशासन को कैसे बनाए रखा जाए।

विशेषज्ञों का अध्ययन दूर करेगा इथेनॉल के भ्रम

> अगर इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल से कारों की ईंधन दक्षता कम होती है तो इससे आर्थिक लागत बढ़ेगी। कृषि-खाद्य विशेषज्ञ चेता रहे हैं कि इथेनॉल मिश्रण से खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ेगा। किसान खाद्य फ़सलों के बजाय ज़्यादा पानी खर्च करने वाली गन्ने की खेती की ओर बढ़ रहे हैं।

इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल को तेज़ी से बढ़ावा देने की सरकारी नीति हाल के हफ़्तों में लोगों की कड़ी आलोचना का निशाना है, हालांकि, यह नीति 2022 से लागू है। 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का मूल लक्ष्य 2030 तक हासिल करना था, लेकिन समयपूर्व 2025 कर दिया गया।

इस नीति के फ़ायदों के बारे में कई दावे किए जा रहे हैं—ऊर्जा सुरक्षा और विदेशी मुद्रा की बचत से लेकर किसानों के कल्याण तक। फिर भी, वाहन मालिक इंजन खराब होने और माइलेज कम होने की शिकायत कर रहे हैं। अपने बचाव में, सरकार का कहना है कि यह नीति सबूतों पर आधारित है और डेटा समर्थित है, जिसमें अधिकांशतः पेट्रोलियम संगठनों के बेनामी और अप्रकाशित अध्ययनों का हवाला दिया गया है।

वाहनों पर इथेनॉल-मिश्रित ईंधन के असर के दावों को साबित करने के लिए कोई स्वतंत्र अथवा विशेषज्ञों द्वारा जांचा-परखा अध्ययन मौजूद नहीं है। अगर इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल करने वाली कारों की फ़्यूल एफ़िशिएंसी (ईंधन दक्षता) कम है—जैसा कि अब कार निर्माता भी मान रहे हैं—और इंजन खराब हो रहे हैं—जैसा कि वाहन मालिक शिकायत कर रहे हैं—तो इससे आर्थिक लागत बढ़ेगी। इसके अलावा, कृषि एवं खाद्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इथेनॉल मिश्रण से खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ेगा, क्योंकि किसान खाद्य फ़सलों के बजाय ज़्यादा पानी खर्च करने वाली गन्ने की खेती की ओर बढ़ रहे हैं। इथेनॉल की बढ़ती मांग के मद्देनजर निर्माता कंपनियां मक्का और चावल का इस्तेमाल कच्चे माल के तौर पर कर रही हैं। सरकार को नीति के लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट होना जरूरी है और इसके फ़ायदों के बारे में ठोस सबूत पेश करने चाहिए, न कि आलोचकों पर गलत इरादे का आरोप मढ़ देना या इसके नकारात्मक प्रभावों को लेकर लोगों के गुस्से को नज़रअंदाज़ करना।

लोग अक्सर ब्राज़ील का उदाहरण देते हैं, जहां 1980 के दशक में इथेनॉल मिश्रण शुरू किया गया था। इसके दीर्घकालीन असर अब जाकर सामने आ रहे हैं। यह नीति 1970 के दशक में चीनी के फालतू उत्पादन का सीधा नतीजा थी और इसे चीनी लॉबी के दबाव में शुरू किया गया था। पिछले चार दशकों में, इसने वहां ज़मीन के इस्तेमाल में भारी बदलाव किया है, नतीजतन, ईंधन फ़सलों के लिए जगह बनाने के वास्ते अमेज़न के जंगलों की कटाई के कारण भारी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ है। वैसे भी, बड़े पैमाने पर ऊर्जा फ़सलों की खेती के लिए भारत की जलवायु और मिट्टी की स्थिति ब्राज़ील जैसी नहीं है। किसी भी नई तकनीक की तरह, ग्रीन तकनीक को भी— चाहे वह इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल हो या इलेक्ट्रिक गाड़ियां—व्यापक पैमाने पर लागू करने पर अनचाहे बुरे असर हो सकते हैं। जैसे किसी नई वैक्सीन या दवा को लाने से पहले क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं, वैसे ही सभी नई तकनीकों का अलग-अलग स्थितियों में कुछ समय तक फील्ड-टेस्ट किया जाना चाहिए, और उससे मिले डेटा का विश्लेषण करवाने को स्वतंत्र विशेषज्ञों को दिया जाए।

परिवहन अर्थव्यवस्था का एक अहम अंग है, और किसी भी नई तकनीक को लागू करने से पहले उसकी कई पहलुओं से जांच होनी चाहिए और सिर्फ़ वाहन निर्माता ही नहीं, बल्कि सभी हितधारकों के साथ उस पर चर्चा होनी चाहिए। यह काफी चौंकाने वाली बात है कि सरकार ने अपने बचाव में वाहन निर्माता कंपनियों को उन शिकायतों का जवाब देने के लिए बुलाया—जो वाहन का उपयोग करने वाले कह रहे हैं—जैसे कि माइलेज में कमी और गाड़ियों के धातु एवं रबर पुर्जों का खराब होना। दुनिया भर में वाहन निर्माता डेटा में हेरफेर करने के लिए कुख्यात हैं, जैसा कि 2015 में अमेरिका में फॉक्सवैगन एमिशन स्कैंडल में यह सामने आया था। कार बनाने वाली इस कंपनी ने अपनी कारों के डीज़ल इंजन को कुछ इस तरह प्रोग्राम किया था कि टेस्टिंग के दौरान उत्सर्जन सीमा नियंत्रण में दिखे ताकि नियामक मानकों पर खरा उतरता दिखाई दे; नतीजतन, 40 गुना ज़्यादा प्रदूषण पैदा करने वाली कारों को भी मानकों के भीतर पाया मानकर स्वीकृति दे दी गई।

अगर पेट्रोलियम मंत्री के दावे के मुताबिक इथेनॉल नीति वाकई वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, तो सरकार को उन तमाम अध्ययनों के नतीजे सार्वजनिक करने चाहिए, जो ईंधन की क्षमता, अलग-अलग पुर्जों और इंजन पर मिश्रित ईंधन के दीर्घकालीन प्रभाव और अलग-अलग तरह की गाड़ियों पर अलग-अलग परिचालन स्थितियों में परीक्षण डेटा को जांचने के लिए किए गए हों। इसके अलावा, हमें इथेनॉल-मिश्रित ईंधन के पर्यावरण के अनुकूल होने के बारे में वैज्ञानिक सुबूत चाहिए, जो कि इथेनॉल के संपूर्ण पर्यावरणीय एवं कार्बन फुटप्रिंट पर आधारित हो — यानी कच्चे ईंधन के उत्पादन से लेकर कारों में वास्तविक इस्तेमाल होने तक। फिर, हमें मिश्रित ईंधन के इस्तेमाल करने पर लागत-लाभ विश्लेषण की ज़रूरत है। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि माइलेज गिरने की चिंताएं हैं। अगर माइलेज 5 प्रतिशत भी कम हो जाती है और कार उपयोग करने वालों को ज़्यादा पेट्रोल खरीदना पड़ता जाए, तो आर्थिक फ़ायदों और विदेशी मुद्रा की बचत के दावे हवा हो जाते हैं।

दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी के मामले में भी ऐसी ही बातें लागू होती हैं। यह पॉलिसी मुख्यतः दुपहिया और तिपहिया केंद्रित है। इसमें पेट्रोल से चलने वाली नई मोटरसाइकिलों और आटो-रिक्शा के पंजीकरण को बंद करने की समय-सीमा तय कर दी गई है। मुख्यमंत्री के दावे में इस कदम को सही ठहराने के लिए चुनिंदा डेटा का सहारा लिया है।

दरअसल, दिल्ली में कुल गाड़ियों में दुपहिया का अंश 62 फीसदी है, लेकिन वाहन चालन से पैदा होने वाले पार्टिकुलेट मैटर (पीएम 2.5) उत्सर्जन में उनका अंश मात्र 15 प्रतिशत है। नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ एडवांस्ड स्टडीज़, बेंगलुरु के गुफ़रान बेग द्वारा प्रकाशित 2025 नीति सारांश अनुसार, हल्के और भारी व्यावसायिक वाहनों का अंश परिवहन उत्सर्जन में 39 प्रतिशत है, जबकि शहर की कुल गाड़ियों में उनकी हिस्सेदारी 3 फीसदी से भी कम है। अतः व्यावसायिक वाहनों और बसों से पैदा होने वाले उत्सर्जन को कम करने से पर्यावरण और इंसानी सेहत को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। सार्वजनिक नीतियों में तथ्य आधारित क्रमबद्ध व्यवस्था का होना जरूरी होता है।

पर्यावरण पर संसदीय स्थायी समिति ने नीति के टुकड़ों में बंटे हुए नज़रिए के ख़िलाफ़ चेताया था और सुझाव दिया था कि राज्य स्तर के बजाय एयरशेड स्तर पर उपाय किए जाएं। अगर ऐसा तरीका नहीं अपनाया गया, तो दिल्ली में ईवी अपनाने से पर्यावरण को उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि होना चाहिए; क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण फैलाने वाले वाहन पड़ोसी राज्यों में चले जाएंगे और वहां से आने वाली साझा हवा में प्रदूषण बढ़ाते रहेंगे।

सार्वजनिक हित नीति बनाने का काम भरोसेमंद और प्रासंगिक प्रमाण आधारित हो, न कि राय, अल्पकालिक लाभ, संकीर्ण राजनीतिक और कारोबारी हितों या विचारधारा पर। नीति से जुड़े फ़ैसले पारदर्शी और निष्पक्ष होने चाहिए और उनका एकमात्र मकसद जनहित हो।

प्रेरणा

विरासत, स्मृतियों और भारतीय आत्मा की खोज का अद्भुत दस्तावेज़

भारत की असली पहचान केवल उसके महानगरों, आधुनिक इमारतों और आर्थिक प्रगति में नहीं, बल्कि उन गांवों, कस्बों और सांस्कृतिक भूभागों में बसती है जिन्होंने सदियों से इस देश की आत्मा को जीवित रखा है। यही गांव भारतीय समाज की परंपराओं, लोक संस्कृति, ऐतिहासिक चेतना और मानवीय संवेदनाओं के सबसे बड़े संरक्षक रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि आधुनिक विकास की तेज़ रफ्तार में इन गांवों की स्मृतियां, उनकी सांस्कृतिक विरासत और उनका ऐतिहासिक महत्व धीरे-धीरे हाशिये पर चला गया है। ऐसे समय में यदि कोई लेखक अपनी जन्मभूमि की मिट्टी, वहां के इतिहास, संस्कृति, लोकजीवन और बदलते समय की पीड़ा को शब्दों में इस तरह संजो देता है कि वह केवल एक पुस्तक न रहकर पूरे समाज की स्मृति बन जाए, तो वह कृति विशेष महत्व प्राप्त कर लेती है। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक अरविंद मोहन की पुस्तक 'हमर चंपारण' ऐसी ही एक विलक्षण रचना है, जो पाठकों को केवल चंपारण से परिचित नहीं कराती, बल्कि भारतीय गांवों की आत्मा से भी जोड़ती है। यह पुस्तक चंपारण की कहानी को किसी राजनीतिक घटना या ऐतिहासिक प्रसंग तक सीमित नहीं रखती। आमतौर पर चंपारण का नाम आते ही लोगों के मन में महात्मा गांधी का सत्याग्रह और नील आंदोलन उभर आता है, लेकिन अरविंद मोहन इस सीमित दृष्टि से आगे बढ़ते हैं। वे बताते हैं कि चंपारण का इतिहास कहीं अधिक व्यापक, समृद्ध और बहुआयामी है। यह वह भूमि है जहां सभ्यता की प्राचीन धारा बहती रही, जहां संस्कृति ने अनेक रूप धारण किए और जहां लोकजीवन ने समय के हर परिवर्तन को अपनी सहजता के साथ स्वीकार किया। लेखक इस पूरी यात्रा को इतनी आत्मीयता से प्रस्तुत करते हैं कि पाठक स्वयं को उस मिट्टी का हिस्सा महसूस करने लगता है।

पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता उसका भावनात्मक आधार है। अरविंद मोहन वर्षों तक दिल्ली जैसे महानगर में रहने के बावजूद अपने गांव और अपनी मिट्टी से कभी अलग नहीं हुए। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि चंपारण केवल उनका जन्मस्थान नहीं, बल्कि उनकी चेतना, उनके विचार और उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा है। यह संबंध किसी भौगोलिक सीमा का नहीं, बल्कि भावनाओं का है। यही कारण है कि पुस्तक पढ़ते समय ऐसा नहीं लगता कि लेखक इतिहास लिख रहे हैं, बल्कि ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई व्यक्ति अपने घर, अपने गांव और अपनी स्मृतियों की कहानी सुना रहा हो। यही आत्मीयता इस पुस्तक को विशिष्ट बनाती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने आधुनिकता और विकास की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। शिक्षा, तकनीक, उद्योग, संचार और शहरीकरण ने देश की तस्वीर बदल दी है। लेकिन इस विकास की प्रक्रिया में गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहरों को अपेक्षित महत्व नहीं मिल पाया। लेखक इस विडंबना को बड़ी संवेदनशीलता से रेखांकित करते हैं। उनका मानना है कि यदि विकास अपनी जड़ों से कटकर आगे बढ़ेगा तो वह अधूरा रहेगा। गांव केवल कृषि उत्पादन के केंद्र नहीं हैं, बल्कि वे भारतीय सभ्यता के जीवंत संग्रहालय हैं। वहां की मिट्टी में इतिहास दबा हुआ है, वहां के गीतों में संस्कृति जीवित है और वहां के लोगों की जीवनशैली में भारतीयता की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति दिखाई देती है।

अरविंद मोहन ने चंपारण के इतिहास को केवल स्वतंत्रता आंदोलन तक सीमित नहीं रखा। वे पाठकों को बुद्धकाल, मौर्यकाल और उससे भी पहले की ऐतिहासिक यात्रा पर ले जाते हैं। पुरातात्विक प्रमाणों, स्तूपों और प्राचीन अवशेषों का उल्लेख करते हुए वे बताते हैं कि यह क्षेत्र भारतीय इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। अंग्रेज़ी शासन के दौरान कई विदेशी विद्वानों और अधिकारियों ने यहां के ऐतिहासिक अवशेषों का अध्ययन किया और उन्हें विश्व के सामने प्रस्तुत किया। विडंबना यह है कि स्वतंत्र भारत में इन धरोहरों के संरक्षण और उनके व्यवस्थित अध्ययन को उतनी प्राथमिकता नहीं मिली, जितनी मिलनी चाहिए थी। यह केवल चंपारण की समस्या नहीं, बल्कि देश के अनेक ऐतिहासिक क्षेत्रों की साझा पीड़ा है।

पुस्तक का एक अत्यंत रोचक पक्ष चंपारण की सांस्कृतिक परंपराओं का विस्तृत चित्रण है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस क्षेत्र का संबंध ध्रुपद जैसी प्राचीन और प्रतिष्ठित शास्त्रीय संगीत परंपरा से भी रहा है। लेखक ने इस तथ्य को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। इससे स्पष्ट होता है कि चंपारण केवल राजनीतिक संघर्षों की भूमि नहीं, बल्कि कला और संस्कृति की भी समृद्ध धरोहर रहा है। इसी प्रकार यहां की चीनी मिलों का इतिहास भी केवल उद्योग की कहानी नहीं, बल्कि किसानों, मजदूरों और पूरे क्षेत्र की आर्थिक संरचना से जुड़ा हुआ है। कभी रोजगार और समृद्धि का आधार रही ये मिलें आज इतिहास का हिस्सा बन चुकी हैं। लेखक इस परिवर्तन को केवल आर्थिक आंकड़ों के माध्यम से नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के साथ प्रस्तुत करते हैं।

पुस्तक का दूसरा भाग इसे और अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। इसमें महात्मा गांधी, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, जॉन बीम्स, नागेंद्रनाथ गुप्त, शंभुनाथ मिश्र, पीर मुहम्मद मुनिस और डॉ. राम मनोहर लोहिया जैसे अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के लेखों को शामिल किया गया है। इन लेखों के माध्यम से चंपारण की तस्वीर कई दृष्टिकोणों से सामने आती है। गांधी के लेख किसानों के संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन की कहानी कहते हैं। डॉ. राजेंद्र प्रसाद इस क्षेत्र की सामाजिक चेतना को रेखांकित करते हैं। जॉन बीम्स औपनिवेशिक प्रशासन की दृष्टि से चंपारण का परिचय देते हैं, जबकि पीर मुहम्मद मुनिस नील आंदोलन की प्रत्यक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। डॉ. राम मनोहर लोहिया चंपारण को गांधी के आगमन से पहले और बाद की परिस्थितियों के संदर्भ में देखते हैं। इन सभी दृष्टियों का समावेश पुस्तक को एक संतुलित और बहुआयामी स्वरूप प्रदान करता है।

अरविंद मोहन की लेखन शैली इस पुस्तक की सबसे बड़ी शक्ति है। वे कठिन ऐतिहासिक तथ्यों को भी सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। कहीं भी अनावश्यक बौद्धिकता या शुष्कता नहीं दिखाई देती। उनके शब्दों में पत्रकार की तथ्यपरक दृष्टि भी है और साहित्यकार की संवेदनशीलता भी। यही कारण है कि पुस्तक इतिहास के विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, साहित्य प्रेमियों और सामान्य पाठकों—सभी के लिए समान रूप से उपयोगी बन जाती है। लेखक तथ्यों के साथ भावनाओं का ऐसा संतुलन स्थापित करते हैं कि पाठक केवल जानकारी प्राप्त नहीं करता, बल्कि उस पूरे परिवेश को महसूस भी करता है।

आज जब नई पीढ़ी तेजी से डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर रही है और गांवों से उसका भावनात्मक रिश्ता कमजोर होता जा रहा है, तब ऐसी पुस्तकें अत्यंत आवश्यक हो जाती हैं। वे केवल अतीत का वर्णन नहीं करतीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से परिचित कराती हैं।

समय के अनुरूप बदली विदेश नीति

अपनी तीन देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों को संबोधित किया। इसके बाद वे न्यूजीलैंड में भी ऐसा करने वाले हैं। इसके पहले 28 जून को सेशेल्स की नेशनल असेंबली में उन्होंने अपने संबोधन में अगस्त 1770 में सेंट ऐनी द्वीप पहुंचे पांच भारतीयों का उल्लेख किया था।

किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने सेशेल्स की संसद में पहली बार यह संदेश दिया कि भारत और सेशेल्स के संबंध केवल राजनयिक इतिहास से नहीं, बल्कि साझा सभ्यतागत स्मृतियों और भारतवंशियों की पीढ़ियों से निर्मित विश्वास से जुड़े हैं। यह केवल अतीत का स्मरण नहीं, अपितु भारत की बदलती विदेश नीति की उद्घोषणा थी। प्रधानमंत्री के इस संदर्भ को समझने के लिए गिरमिटिया इतिहास को समझना आवश्यक है।

1833 में ब्रिटिश संसद द्वारा दास प्रथा समाप्त किए जाने के बाद ब्रिटिश, डच और फ्रांसीसी उपनिवेशों में श्रमिकों का संकट उत्पन्न हुआ। इसका समाधान इंडेंटर्ड लेबर सिस्टम के रूप में निकाला, जिसमें एग्रीमेंट शब्द भोजपुरी-अवधी अपभ्रंश में 'गिरमिट' बन गया और अनुबंधित श्रमिक 'गिरमिटिया' कहलाए।

10 सितंबर, 1834 को पहला जहाज कलकत्ता से मारीशस के लिए रवाना हुआ और 2 नवंबर, 1834 को पोर्ट लुईस पहुंचा। इस मोर्चे पर मार्च 1917 आते-आते भर्तियों पर रोक लगी और 1922 तक यह व्यवस्था व्यावहारिक रूप से समाप्त हो गई। इस दौरान लगभग 11.2 लाख भारतीय मारीशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, नटाल और अन्य उपनिवेशों में भेजे गए। आज उनके वंशजों की संख्या लगभग 70–80 लाख है।

देखा जाए तो गिरमिट केवल शोषण का इतिहास न होकर पीड़ा से प्रतिष्ठा और परिश्रम से पराक्रम की यात्रा है। कभी 'कुली' और 'जहाजी' कहे जाने वाले लोगों की संतानों ने आज अनेक देशों की राजनीति, न्यायपालिका, उद्योग, शिक्षा और प्रशासन आदि में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी ने भी इस प्रश्न को राष्ट्रीय चेतना का विषय बनाया। स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताएं राष्ट्र निर्माण, गुटनिरपेक्षता और नव स्वतंत्र देशों के साथ संबंधों पर केंद्रित थीं। उस समय यह दृष्टिकोण उभरा कि विदेशों में बस चुके भारतीय जिस देश के नागरिक हैं, उन्हें उसी राष्ट्र के प्रति पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए। नेहरू और बाद में इंदिरा ने भी इसी नीति को आगे बढ़ाया। परिणामस्वरूप गिरमिटिया समुदाय लंबे समय तक भारत की विदेश नीति के केंद्र में स्थान नहीं बना सका। सांस्कृतिक संबंध बने रहे, लेकिन संस्थागत प्राथमिकता सीमित रही। फिजी में 1987 और 2006 के राजनीतिक संकटों ने भारतीय मूल के लोगों की असुरक्षा को उजागर किया। उस दौर ने यह प्रश्न खड़ा किया कि क्या भारत केवल उनकी स्मृतियों में है या उनके वर्तमान के साथ भी खड़ा है? पिछले एक दशक में इस प्रश्न का उत्तर भारत की विदेश नीति ने नए रूप में दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गिरमिटिया समुदाय को केवल प्रवासी समाज नहीं, बल्कि भारत की सभ्यतागत शक्ति का विस्तार माना।

उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत किसी से उसकी नागरिकता या राष्ट्रीय निष्ठा बदलने की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि इतना चाहता है कि वे अपने देश के आदर्श नागरिक बने रहकर भी अपनी भारतीय सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहें। यही भारत की नई विदेश नीति का सबसे बड़ा परिवर्तन है। यही परिवर्तन गिरमिटिया समुदाय के लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव लेकर आया है कि भारत ने उन्हें छोड़ा नहीं, बल्कि उनके सम्मान, सांस्कृतिक पहचान और विरासत का नैतिक गारंटर बनकर उभरा है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रवासी भारतीयों के हितों में कई कदम उठाए गए हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन जीवंत हुए हैं। ओवरसीज सिटिजन आफ इंडिया यानी ओसीआइ व्यवस्था को अधिक सुगम बनाया गया और गिरमिट देशों के साथ उच्चस्तरीय संवाद बढ़ा।

फोरम फार इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स को-आपरेशन, वैक्सीन मैत्री, मिशन सागर, जल एंबुलेंस, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, स्वास्थ्य सहयोग, क्षमता निर्माण और जलवायु साझेदारी ने छोटे द्वीपीय देशों के साथ भारत के संबंधों को नई ऊंचाई दी है। कोविड-19 के दौरान भारत इन तमाम देशों में सबसे पहले सहायता पहुंचाने वाले देशों में था। इससे यह संदेश गया कि भारत कठिन समय में भी अपने मित्रों और भारतवंशियों के साथ खड़ा रहता है।

यह परिवर्तन केवल विकास और सहयोग तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक गहरा रणनीतिक सोच भी है। मारीशस, सेशेल्स, फिजी, गुयाना, सूरीनाम और अन्य देश आज हिंद-प्रशांत क्षेत्र की बदलती भू-राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, ब्लू इकोनमी, समुद्री संसाधनों का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएं और बहुपक्षीय संस्थाओं में सहयोग के मोर्चे पर इन देशों की भूमिका लगातार बढ़ रही है।

भारत की वर्तमान विदेश नीति ने समय रहते इस महत्व को पहचाना और इन देशों के साथ अपने संबंधों को केवल सांस्कृतिक नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया। आज कई देशों में भारतीय आगमन दिवस तथा गिरमिट स्मृति दिवस राष्ट्रीय सम्मान के साथ मनाए जाते हैं। जिन लोगों को कभी अपमानित किया गया था, आज उनके सम्मान में राष्ट्रीय समारोह आयोजित होते हैं। यह भारत की सांस्कृतिक शक्ति और गिरमिटिया समुदाय की असाधारण यात्रा का ही प्रमाण है।

गिरमिट गाथा अंततः भारत के उदय का भी आख्यान है, जिसमें संघर्ष से सफलता, विस्थापन से विश्वास और पीड़ा से प्रतिष्ठा जैसे बिंदुओं का समावेश है। पीएम मोदी की हालिया यात्राएं इस परिवर्तन को ही रेखांकित करती हैं कि उन्होंने गिरमिटिया समुदाय को मात्र इतिहास का विषय नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति, सांस्कृतिक कूटनीति और वैश्विक साझेदारी का अभिन्न अंग बनाया है। भारत ने अपने बिछड़े परिवार को केवल याद नहीं किया, अपितु यह विश्वास भी दिलाया है कि विश्व के किसी भी कोने में रहने वाला भारतवंशी अकेला नहीं है।

अभियान

दक्षिणमुखी घर: मिथक, वास्तु सिद्धांत और सकारात्मक ऊर्जा के संतुलन की वैज्ञानिक एवं पारंपरिक समझ

भारतीय संस्कृति में घर केवल ईंट-पत्थरों से बना एक ढांचा नहीं माना जाता, बल्कि इसे परिवार की खुशियों, समृद्धि, स्वास्थ्य और मानसिक शांति का आधार समझा जाता है। यही कारण है कि घर के निर्माण से लेकर उसकी दिशा, कमरों की स्थिति, प्रवेश द्वार और आंतरिक व्यवस्था तक हर पहलू को विशेष महत्व दिया जाता है। प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र इसी सोच का परिणाम है, जिसमें प्राकृतिक शक्तियों, पंचमहाभूतों और दिशाओं के संतुलन के आधार पर भवन निर्माण के नियम बताए गए हैं। सदियों से यह मान्यता रही है कि यदि घर का निर्माण वास्तु सिद्धांतों के अनुरूप किया जाए तो परिवार में सुख-शांति, आर्थिक उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। हालांकि समय के साथ वास्तु को लेकर कई धारणाएं और मिथक भी प्रचलित हो गए हैं। इन्हीं में से एक सबसे चर्चित धारणा यह है कि दक्षिणमुखी घर या दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार अशुभ होता है। इस कारण बहुत से लोग दक्षिणमुखी मकान खरीदने या बनवाने से बचते हैं। लेकिन क्या वास्तव में हर दक्षिणमुखी घर अशुभ होता है? वास्तुशास्त्र का गहन अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी घर की शुभता केवल उसकी दिशा से तय नहीं होती, बल्कि भूखंड की बनावट, मुख्य द्वार की सटीक स्थिति, कमरों का विन्यास, खुलापन, प्रकाश, वायु प्रवाह और ऊर्जा संतुलन जैसे अनेक कारक मिलकर उसका प्रभाव निर्धारित करते हैं। दक्षिणमुखी घर का अर्थ केवल इतना है कि घर का मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा की ओर खुलता है। वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा का संबंध यम, स्थिरता, अनुशासन और ऊर्जा के नियंत्रण से माना गया है। यही कारण है कि इस दिशा को लेकर लोगों के मन में अनेक प्रकार की आशंकाएं बनी रहती हैं। वास्तव में दक्षिण दिशा स्वयं अशुभ नहीं है, बल्कि यदि इस दिशा में भवन निर्माण या प्रवेश द्वार का निर्धारण बिना उचित योजना के किया जाए तो ऊर्जा का संतुलन प्रभावित हो सकता है। दूसरी ओर यदि दक्षिणमुखी घर वास्तु सिद्धांतों के अनुरूप बनाया गया हो तो यह नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक सफलता, आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिरता का भी प्रतीक माना जाता है। अनेक सफल उद्योगपतियों, प्रशासनिक अधिकारियों और व्यवसायियों के दक्षिणमुखी भवन इसके उदाहरण माने जाते हैं। वास्तुशास्त्र का मूल उद्देश्य किसी दिशा को शुभ या अशुभ घोषित करना नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलित जीवन स्थापित करना है। दक्षिण दिशा दिन के अधिकांश समय सूर्य की तीव्र गर्मी प्राप्त करती है। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में दक्षिण की ओर खुलने वाले घरों में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहता है। यदि भवन का निर्माण उचित वेंटिलेशन, छायादार व्यवस्था और संतुलित प्रकाश के बिना किया जाए तो घर के भीतर गर्मी और घुटन बढ़ सकती है। पारंपरिक वास्तुशास्त्र में इसी स्थिति को नकारात्मक ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया गया है। आधुनिक वास्तुकला भी इस तथ्य को स्वीकार करती है कि भवन की दिशा के अनुसार ताप नियंत्रण, हवा के प्रवाह और प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक होती है। यदि किसी व्यक्ति का घर दक्षिणमुखी है तो घबराने या उसे अशुभ मानने की आवश्यकता नहीं है। वास्तु में ऐसे अनेक उपाय बताए गए हैं जिनसे ऊर्जा संतुलन स्थापित किया जा सकता है। सबसे पहले मुख्य प्रवेश द्वार को स्वच्छ, प्रकाशयुक्त और आकर्षक बनाए रखना आवश्यक माना गया है। मुख्य द्वार को घर का मुख कहा जाता है, जहां से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जाओं का प्रवेश होता है। इसलिए प्रवेश द्वार पर शुभ प्रतीकों का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हल्दी, कुमकुम या सिंदूर से स्वस्तिक, ॐ अथवा शुभ-लाभ जैसे प्रतीक बनाने की परंपरा केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि मानसिक सकारात्मकता का भी प्रतीक है। इन प्रतीकों को देखने मात्र से मन में शुभ भाव उत्पन्न होता है, जिससे घर का वातावरण भी सकारात्मक महसूस होता है।

मुख्य द्वार के आसपास कांटेदार पौधे लगाने से बचने की सलाह भी वास्तुशास्त्र में दी जाती है। इसके पीछे केवल धार्मिक कारण नहीं हैं। कांटेदार पौधे प्रवेश मार्ग को कठोर और असुविधाजनक बनाते हैं तथा कई बार सुरक्षा की दृष्टि से भी उचित नहीं माने जाते। इसके स्थान पर तुलसी, अशोक, मोगरा, चमेली, बेला या अन्य हरियाली वाले पौधे लगाने से वातावरण शीतल और मनोवैज्ञानिक रूप से सुखद बनता है। यदि घर के बाहर पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो तो दक्षिण दिशा की ओर छायादार वृक्ष लगाने की भी सलाह दी जाती है। इससे सूर्य की तीव्र गर्मी कम होती है और घर के तापमान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वास्तु में दक्षिणमुखी घर के भीतर लाफिंग बुद्ध की प्रतिमा रखने की सलाह भी दी जाती है। हालांकि यह उपाय मूल भारतीय वास्तु का भाग नहीं, बल्कि फेंगशुई परंपरा से जुड़ा हुआ माना जाता है। फिर भी कई लोग इसे सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक मानकर अपनाते हैं। यदि कोई व्यक्ति इसे अपनी आस्था के अनुसार रखना चाहे तो मुख्य प्रवेश के अंदर ऐसी स्थिति में रखा जा सकता है जहां उसका मुख बाहर की ओर रहे। इसका उद्देश्य प्रतीकात्मक रूप से घर की रक्षा और सकारात्मकता का स्वागत करना माना जाता है। दक्षिणमुखी घर में उत्तर दिशा को अधिक खुला और हल्का रखने की सलाह भी दी जाती है। यदि संभव हो तो उत्तर दिशा में अतिरिक्त दरवाजा या बड़ी खिड़की बनाई जा सकती है, जिससे प्राकृतिक प्रकाश और वायु का संतुलन बना रहे। उत्तर दिशा का संबंध धन और सकारात्मक प्रवाह से माना जाता है। आधुनिक वास्तुकला भी प्राकृतिक वेंटिलेशन और क्रॉस एयर फ्लो को स्वस्थ भवन निर्माण का महत्वपूर्ण आधार मानती है। इस प्रकार वास्तु और वैज्ञानिक सोच कई स्थानों पर एक-दूसरे का पूरक रूप भी दिखाई देते हैं। यदि स्वतंत्र मकान बनाया जा रहा हो तो दक्षिण और पश्चिम दिशा की दीवारों को अपेक्षाकृत मजबूत और मोटा रखने की सलाह दी जाती है। इसका व्यावहारिक कारण भी स्पष्ट है। इन दिशाओं से गर्मी अधिक आती है, इसलिए मोटी दीवारें तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। इसी प्रकार उत्तर और पूर्व दिशा को अपेक्षाकृत खुला रखने से सुबह की धूप और ताजी हवा घर में प्रवेश करती है, जिससे स्वास्थ्य और मानसिक प्रसन्नता दोनों को लाभ मिलता है। आज के समय में शहरों में अधिकांश लोग अपार्टमेंट या बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं, जहां दिशा का चयन हमेशा संभव नहीं होता। ऐसे में केवल मुख्य द्वार की दिशा के आधार पर पूरे घर को शुभ या अशुभ मान लेना उचित नहीं है। घर की साफ-सफाई, पर्याप्त रोशनी, नियमित वेंटिलेशन, सकारात्मक पारिवारिक वातावरण और व्यवस्थित जीवनशैली किसी भी भवन को अधिक सुखद और ऊर्जा से भरपूर बना सकते हैं। वास्तुशास्त्र भी अंततः संतुलन और सकारात्मकता की ही शिक्षा देता है, न कि भय उत्पन्न करने की। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि वास्तुशास्त्र भारतीय परंपरा का महत्वपूर्ण ज्ञान है, लेकिन इसे अंधविश्वास का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का घर दक्षिणमुखी है और उसका जीवन सुखी, स्वस्थ तथा समृद्ध है तो केवल दिशा के कारण अनावश्यक चिंता करना उचित नहीं है। इसी प्रकार यदि किसी अन्य दिशा वाले घर में लगातार समस्याएं बनी रहती हैं तो केवल दिशा बदल देने से समाधान नहीं हो जाता। परिवार का वातावरण, आर्थिक अनुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आपसी संबंध और सकारात्मक सोच भी जीवन की सफलता में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्तु के अनेक उपाय प्रतीकात्मक होने के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं। जब व्यक्ति अपने घर को व्यवस्थित रखता है, नियमित रूप से पूजा-अर्चना करता है, स्वच्छता बनाए रखता है, पौधे लगाता है और घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करता है, तो उसका प्रभाव परिवार के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। यही कारण है कि वास्तु के अनेक नियम आधुनिक मनोविज्ञान और पर्यावरणीय विज्ञान के साथ भी सामंजस्य स्थापित करते दिखाई देते हैं। दक्षिणमुखी घर को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करना आज की आवश्यकता है। किसी भी घर की गुणवत्ता केवल उसकी दिशा से निर्धारित नहीं होती। यदि निर्माण सही ढंग से किया गया हो, प्राकृतिक प्रकाश और हवा का पर्याप्त प्रबंध हो, प्रवेश द्वार स्वच्छ और आकर्षक हो तथा परिवार में प्रेम, सम्मान और सकारात्मक सोच का वातावरण हो, तो ऐसा घर किसी भी दिशा में स्थित होकर सुख-समृद्धि का केंद्र बन सकता है।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmdabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में एक ही दिन में लगभग 1.25 करोड़ पौधे लगाए गए : एएमसी के 405 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास संपन्न

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का 'एक पेड़ मां के नाम' आह्वान बना जनआंदोलन
- यदि भावी पीढ़ी को छांव देनी है, तो आज शतायु वृक्षों का आवरण बनाना होगा
- केंद्रीय गृह मंत्री ने पृथ्वी को रहने योग्य बनाए रखने के लिए हर घर पर सोलर रूफटॉप और सोसायटी के हर कोने पर पौधे लगाने का आह्वान किया
- अब तक गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में कुल 28,492 करोड़ रुपए के कार्य पूर्ण, वर्ष 2029 तक हरित आवरण को 20 फीसदी तक पहुंचाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- गुजरात प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास के विजन को साकार कर रहा है
- 'एक पेड़ मां के नाम 2.0' अभियान के तहत हरित आवरण बढ़ाने के लिए राज्य में 10.96 करोड़ पौधे और 82 'नमो वन' में 14 हजार से अधिक पौधे लगाए गए

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला की प्रोत्साहक उपस्थिति

.....

101 ऑक्सीजन पार्क का ई-लोकार्पण और 155 नई एसी इलेक्ट्रिक बीआरटीएस-एएमटीएस बसों का लोकार्पण किया गया

शनिवार : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने रविवार को अहमदाबाद महानगर पालिका (एएमसी) के 'मिशन फाइव मिलियन ट्रीज' के अंतर्गत लगभग 1.25 करोड़ पौधे लगाने के अभियान का नेतृत्व किया और एएमसी, अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (औडा) तथा सड़क एवं भवन विभाग की लगभग 405 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की प्रोत्साहक उपस्थिति में साइंस सिटी में आयोजित इस कार्यक्रम में गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में कुल 101 ऑक्सीजन पार्क और 155 एसी इलेक्ट्रिक बीआरटीएस-एएमटीएस बसों का लोकार्पण भी किया गया।

केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र और अहमदाबाद शहर में पर्यावरण के संरक्षण और पृथ्वी के संवर्धन के लिए एक अभूतपूर्व 'जन अभियान' शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में आज एक ही दिन में 1,25,93,513 पौधे लगाने का भगीरथ कार्य पूर्ण करके एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया।

इसके साथ ही, उन्होंने अहमदाबाद के तीनों लोकसभा क्षेत्रों में अलग से 50 लाख पौधे लगाने के लिए तेज गति से चल रहे महत्वाकांक्षी अभियान के लिए अहमदाबाद महानगर पालिका के काम की सराहना की। उन्होंने केवल तीन महीने में असंभव प्रतीत होने वाले इस कार्य को पूरा करने के लिए मनपा का आभार व्यक्त किया।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'एक पेड़ मां के नाम' आह्वान से प्रेरित होकर यह अभियान अब एक जनआंदोलन बन गया है। केवल गांधीनगर लोकसभा के 1,37,812 नागरिकों ने अपनी-अपनी सोसायटियों में पांच-पांच पौधे लगाने का संकल्प लिया है। वहीं, अहमदाबाद शहर के अन्य संसदीय क्षेत्रों के भी 28,544 नागरिकों ने यह संकल्प लिया है।

प्रधानमंत्री के 'वन साथे जन अने प्रकृति साथे प्रगति' यानी वन के साथ जन और प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र दोहराते हुए उन्होंने कहा कि इन सभी वृक्षों में गोरस इमली, शीशम, बरगद और पीपल जैसे पेड़ शामिल हैं, जिनकी उम्र कम से कम 100 वर्ष या उससे अधिक होती है। इस प्रकार, आज लगाए गए ये पेड़ आने वाली अनेक पीढ़ियों को छांव देंगे।

श्री अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में हरित क्षेत्र को 11.23 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 80 नई बीआरटीएस तथा 75 नई एएमटीएस इलेक्ट्रिक बसों का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही अहमदाबाद बीआरटीएस देश की एकमात्र संपूर्ण प्रदूषण-मुक्त बस सेवा बन गई है।

श्री शाह ने नागरिकों के समक्ष विकास कार्यों का लेखाजोखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि अब तक गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में कुल 28,492 करोड़ रुपए के कार्य पूरे हो चुके हैं।

श्री अमित शाह ने बढ़ते कार्बन उत्सर्जन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भावी पीढ़ी के लिए पृथ्वी को रहने लायक बनाए रखने के लिए वृक्षों का आवरण आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने प्रत्येक नागरिक से अपने घर पर सोलर रूफटॉप लगाने और सोसायटी के प्रत्येक कोने पर पेड़ लगाने की अपील की, ताकि बढ़ते तापमान और ओजोन परत के नुकसान से आने वाली पीढ़ियों को बचाया जा सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश को पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास करने की एक नई दिशा दिखाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण- 'वन साथे जन अने प्रकृति साथे प्रगति' यानी वन के साथ जन और प्रकृति के साथ प्रगति को आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में साकार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने जनभागीदारी से हो रहे रिकॉर्ड वृक्षारोपण की सराहना करते हुए कहा कि आज वृक्षारोपण एक व्यापक जनआंदोलन बन चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए 'बैक टू बेसिक' का मंत्र दिया है। आज पानी और बिजली सहित प्रत्येक क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए।

श्री पटेल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर देश में पहली बार अलग 'क्लाइमेट चेन्ज विभाग' स्थापित किया था। भूमिगत जल के स्तर को ऊंचा उठाने के प्रधानमंत्री के प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 'कैच द रेन' अभियान के तहत बरसाती पानी को जमीन में उतारने का भगीरथ काम हो रहा है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का ऐतिहासिक काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा, 'एक पेड़ मां के नाम 2.0' अभियान के तहत राज्य में 10.96 करोड़ पौधे लगाकर, शहरों में ऑक्सीजन पार्क का निर्माण करके और 82 'नमो वन' में 14 हजार से अधिक पौधे लगाकर शहरों में हरित आवरण बढ़ाया गया है।

गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के विकास का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र को देश का सबसे विकसित क्षेत्र बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हो रहे विभिन्न जनोपयोगी विकास कार्यों के लोकार्पण के कारण नागरिकों की 'ईज ऑफ लिविंग' यानी जीवन सुगमता बेहतर हुई है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने उपस्थित नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी को साथ मिलकर काम करना चाहिए और अहमदाबाद महानगर को और स्वच्छ, स्वस्थ एवं हरा-भरा महानगर बनाने का प्रयास करना चाहिए।

इस अवसर पर अहमदाबाद के महापौर श्री हितेशभाई बारोट ने स्वागत भाषण में सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम के आंकड़े पेश किए।

इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए अहमदाबाद महानगर पालिका ने कुल 101 ऑक्सीजन पार्क शुरू किए गए, जिनमें शामिल 61 नए ऑक्सीजन पार्क के साथ गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र में ऑक्सीजन पार्क की संख्या अब 73 हो गई है। इसके साथ ही, नागरिकों को इन सभी पार्कों की जानकारी, पेड़ों की संख्या और लोकेशन की जानकारी वाली एक विशेष 'ई-बुक' का भी लोकार्पण किया गया।

इसके अलावा, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की उपस्थिति में अहमदाबाद शहर और पूरे गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र को 'हरियाली लोकसभा' बनाने के उद्देश्य से आईटीसी इंडिया लिमि., विश्वनाथ रियल्टर्स, एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स और शीतल इंफ्रास्ट्रक्चर, इफको और गांधीनगर शहरी विकास प्राधिकरण (गूडा) के साथ शहर में वृक्षारोपण और लगातार तीन वर्षों तक उनकी देखभाल करने के लिए एमओयू किया गया।

साथ ही, केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में गोता-गोधावी कैनाल, भाड़ज, सवन्नाह पार्टी प्लॉट, सरखेज, एनडीडीबी प्लॉट, वाड़ज में वृक्षारोपण किया गया।

इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री जगदीशभाई विश्वकर्मा, शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला, सांसदगण श्री हसमुखभाई पटेल, श्री दिनेशभाई मकवाणा, विधायकगण सर्वश्री अमितभाई शाह, अमूलभाई भट्ट, जीतूभाई पटेल, कौशिकभाई जैन, अमितभाई ठाकर, दिनेशसिंह कुशवाह, श्रीमती कंचनबेन रादड़िया, सुश्री पायलबेन कुकराणी, श्री बाबूसिंह जादव, श्री कनुभाई पटेल, श्री बाबूभाई जे. पटेल, श्रीमती रीटाबेन पटेल, इफको के चेयरमैन श्री दिलीपभाई संघाणी, राज्य के मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, मनपा आयुक्त श्री बंछानिधि पाणी, शहर अध्यक्ष श्री प्रेरकभाई शाह, उप महापौर श्रीमती अंजूबेन शाह, स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री कमलेशभाई पटेल सहित मनपा के पदाधिकारी, अधिकारी, पार्षदगण, कई अग्रणी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

वेस्टर्न रेलवे एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने किन्नौर कैलाश ट्रेक सफलतापूर्वक पूरा किया

वेस्टर्न रेलवे एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन (WRASA) ने हिमाचल प्रदेश के चुनौतीपूर्ण किन्नौर कैलाश ट्रेक को सफलतापूर्वक पूरा कर अपनी उपलब्धियों में एक और गौरवपूर्ण अध्याय जोड़ा है। इस अभियान ने एक बार फिर टीम की उत्कृष्ट टीम भावना, सहनशक्ति तथा दृढ़ संकल्प का परिचय दिया।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अभियान की शुरुआत युल्ला कांडा ट्रेक से हुई, जहाँ विश्व का सबसे ऊँचाई पर स्थित भगवान श्रीकृष्ण का मंदिर लगभग 3,895 मीटर (12,778 फीट) की ऊँचाई पर स्थित है। लगभग 24 किलोमीटर लंबा यह ट्रेक मुख्य किन्नौर कैलाश अभियान से पूर्व दल के अनुकूलन के उद्देश्य से किया गया।

युल्ला कांडा ट्रेक सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात अभियान दल हिमाचल प्रदेश के रिकांग पिओ होते हुए तंगलिंग पहुँचा, जहाँ से किन्नौर कैलाश ट्रेक प्रारंभ होता है। तंगलिंग से दल ने लगभग छह घंटे की कठिन पदयात्रा कर गणेश पार्क तक पहुँचकर रात्रि विश्राम किया तथा इसके बाद अंतिम चरण की चढ़ाई प्रारंभ की।

अभियान दल में टीम लीडर सहित पश्चिम रेलवे के नौ कर्मचारी तथा उनके चार पारिवारिक सदस्य शामिल थे। पश्चिम रेलवे के दल में मुख्य लोको निरीक्षक (टीम लीडर) श्री मुनेश कुमार कुलश्रेष्ठ, मुख्य लोको निरीक्षक श्री एस. पी. सिंह, वरिष्ठ मोटरमैन श्री शशांक अभ्यंकर, मोटरमैन श्री संजय कुलश्रेष्ठ, श्री अनुपम खेमन, श्री राजेश डे, श्री शैलेन्द्र कुमार एवं श्री अश्वनी तिवारी तथा मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक श्री संदीप पाटिल शामिल थे। अभियान में भाग लेने वाले पारिवारिक सदस्यों में श्री कृष्णा जे. साहू, श्री यशोवर्धन खेमन, श्री हृषिकेश पाटिल तथा श्री सौरभ फाल्के शामिल थे।

कठिन पर्वतीय मार्ग, अधिक ऊँचाई तथा प्रतिकूल मौसम जैसी चुनौतियों के बावजूद पूरे दल ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभियान को सुरक्षित रूप से सफलतापूर्वक पूरा किया। ट्रेक के दौरान दल के सभी सदस्यों ने अद्भुत साहस, अनुशासन एवं टीमवर्क का परिचय देते हुए प्रत्येक चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया।

किन्नौर कैलाश ट्रेक की यह सफल पूर्णता वेस्टर्न रेलवे एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन (WRASA) के लिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह अभियान एसोसिएशन की अपने सदस्यों के बीच साहसिक खेलों, शारीरिक फिटनेस तथा दृढ़ता एवं संघर्षशीलता की भावना को प्रोत्साहित करने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कुंडली रेलवे स्टेशन पर आधुनिक ऑटोमैटिक फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम (AFDAS) का सफल कमीशनिंग

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल ने सुरक्षा अवसंरचना को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ मंडल दूरसंचार एवं सिग्नल इंजीनियर (Sr. DSTE) श्री एच. एस. आर्या के नेतृत्व एवं देखरेख में कुंडली रेलवे स्टेशन पर ऑटोमैटिक फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम (AFDAS) का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर इसे कमीशन कर दिया गया है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत कुंडली रेलवे स्टेशन पर 10 जुलाई को AFDAS प्रणाली का सफलतापूर्वक कमीशनिंग किया गया। यह अत्याधुनिक प्रणाली आग अथवा धुएँ की प्रारंभिक अवस्था में ही स्वतः पहचान कर तत्काल अलार्म सक्रिय करती है, जिससे समय रहते आवश्यक सुरक्षा एवं बचाव संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है।

इस आधुनिक प्रणाली में स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर, गैस सेंसर, मैनुअल कॉल प्वाइंट, मॉनिटर मॉड्यूल, इनपुट-आउटपुट मॉड्यूल, लूप साउंडर तथा पावर सप्लाई यूनिट जैसी उन्नत सुरक्षा सुविधाएँ स्थापित की गई हैं। इन उपकरणों के माध्यम से किसी भी संभावित अग्नि दुर्घटना का प्रारंभिक स्तर पर ही पता लगाकर त्वरित चेतावनी प्रदान की जा सकेगी।

AFDAS प्रणाली के स्थापित होने से रेलवे परिसरों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी। आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित होने के साथ-साथ यात्रियों, रेलवे कर्मचारियों एवं रेलवे परिसंपत्तियों की सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी। यह प्रणाली सुरक्षित, संरक्षित एवं निर्बाध रेल संचालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

भावनगर मंडल आधुनिक तकनीकों के समावेश के माध्यम से रेलवे स्टेशनों पर विश्वसनीय एवं उन्नत सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। चुड़ा (7 जुलाई) एवं राणपुर (8 जुलाई) रेलवे स्टेशनों के बाद अब कुंडली स्टेशन पर भी AFDAS प्रणाली का सफल कमीशनिंग पश्चिम रेलवे की सुरक्षित, आधुनिक एवं यात्री-केंद्रित रेल सेवाएँ उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

अहमदाबाद मंडल पर मेगा वृक्षारोपण अभियान के तहत 8 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे,साणंद में रेलवे भूमि पर प्रथम चरण में 2 लाख से अधिक पौधों का रोपण

पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा गुजरात सरकार के राज्यव्यापी मेगा वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है।

मण्डल रेल प्रबंधक अहमदाबाद, श्री वेद प्रकाश ने बताया कि अहमदाबाद मंडल द्वारा गुजरात सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के सहयोग से 'वन कवच योजना' के अंतर्गत साणंद में रेलवे की उपलब्ध भूमि पर 2 लाख पौधों का वृक्षारोपण किया गया। यह अभियान राज्यव्यापी मेगा वृक्षारोपण कार्यक्रम का हिस्सा है। इस अभियान के तहत अहमदाबाद मंडल की 10 विभिन्न रेलवे लोकेशनों पर 8 लाख से अधिक पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के अंतर्गत साणंद में 1,20,000 वर्ग मीटर रेलवे भूमि पर कुल 4 लाख पौधे लगाए जाने की योजना बनाई गई है। प्रथम चरण में 2 लाख से अधिक पौधों का सफलतापूर्वक रोपण किया गया, जबकि शेष पौधों का रोपण आगामी चरणों में किया जाएगा।

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) एवं गुजरात वन विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में डॉ. मीनल जानी तथा रूचि दवे (एसीएफ) सहित वन विभाग एवं रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने कहा कि रेलवे एवं वन विभाग का यह संयुक्त प्रयास हरित आवरण बढ़ाने के साथ-साथ स्थानीय पारिस्थितिकी के संरक्षण तथा सतत विकास के लक्ष्यों को भी मजबूती प्रदान करेगा।

यह अभियान गुजरात सरकार द्वारा संचालित राज्यव्यापी मेगा वृक्षारोपण अभियान का हिस्सा है, जिसमें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में सहभागी बने। इस विशेष अभियान के अंतर्गत राज्यभर में एक ही दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

रेलवे प्रशासन एवं वन विभाग ने नागरिकों से इस हरित अभियान में सक्रिय भागीदारी करने तथा लगाए गए पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन में सहयोग देने की अपील की है।

मुख्य बिंदु

- वन कवच योजना के तहत साणंद में रेलवे भूमि पर 2 लाख पौधों का वृक्षारोपण।
- रेलवे एवं गुजरात वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अभियान का आयोजन।
- डीआरएम वेद प्रकाश, डॉ. मीनल जानी एवं रूचि दवे (एसीएफ) सहित अधिकारियों ने किया पौधारोपण।
- साणंद यार्ड–डीएफसी लाइन के मध्य 1,20,000 वर्गमीटर भूमि पर कुल 4 लाख पौधे लगाए जाएंगे।
- प्रथम चरण में 2 लाख पौधों का रोपण पूर्ण।
- अहमदाबाद मंडल के 10 प्रमुख स्थानों पर 8 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य।
- राज्यव्यापी मेगा वृक्षारोपण अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य।
- अभियान का उद्देश्य हरित आवरण बढ़ाना, जैव विविधता संरक्षण एवं सतत विकास को प्रोत्साहित करना।

अहमदाबाद मंडल के प्रमुख वृक्षारोपण स्थल

- आंबली रोड – गोराघुमा : 20,538 वर्गमीटर
- छारोडी – जाखवाड़ा : 37,625 वर्गमीटर
- आंबली रोड – चांदलोडिया : 9,231 वर्गमीटर
- गोराघुमा – साणंद : 12,560 वर्गमीटर
- जाखवाड़ा रेलवे स्टेशन : 4,000 वर्गमीटर
- साणंद – छारोडी : 61,218 वर्गमीटर
- साणंद यार्ड – डीएफसी लाइन : 1,20,000 वर्गमीटर
- साबरमती – चांदलोडिया : 5,750 वर्गमीटर
- साबरमती – चांदलोडिया (द्वितीय स्थल) : 42,000 वर्गमीटर

अन्य प्रमुख वृक्षारोपण

- साबरमती
- क्षेत्रफल : 8,400 वर्गमीटर
- लगाए गए पौधे : 9,000
- अंबली रोड
- क्षेत्रफल : 2,200 वर्गमीटर-
- लगाए गए पौधे : 1,020

रोपित पौधों की प्रमुख प्रजातियाँ एवं संख्या

- फाउंटेन ग्रास (Fountain Grass) – 75,000
- बोगनवेलिया (Bougainvillea) – 51,000
- बांस (Bamboo) – 18,000
- टेकोमा (Tecoma) – 14,000
- केसूड़ा/पलाश – 12,000
- नागोद/निर्गुंडी – 6,000
- देसी मेहंदी – 6,000
- करंज – 4,000
- हरसिंगार/पारिजात – 4,000
- कचनार – 4,000
- गरमालो/अमलतास – 4,000
- देसी बबूल – 2,000

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के दक्षिण एलिवेटेड रोड परियोजना का मण्डल रेल प्रबंधक ने किया निरीक्षण, सारंगपुर आरओबी से कनेक्टिविटी के कार्यों की प्रगति की समीक्षा, गुणवत्ता एवं समयबद्ध निष्पादन पर दिया जोर

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) श्री वेद प्रकाश ने आज 12.07.2026 को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों के अंतर्गत निर्माणाधीन दक्षिण एलिवेटेड रोड परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से सारंगपुर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) से प्रस्तावित कनेक्टिविटी के लिए चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया तथा अधिकारियों एवं कार्यदायी एजेंसी को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण एलिवेटेड रोड के अंतर्गत पियर संख्या 42 से 51 तक कुल 10 पोर्टल पियर पर कार्य किया जा रहा है। इनमें पियर संख्या 42, 43, 47, 48, 49, 50 एवं 51 के दाहिने हिस्से (राइट लेग) का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। वर्तमान में पियर संख्या 44 के दाहिने हिस्से के लिए पाइलिंग कार्य प्रगति पर है।

इसी प्रकार, दक्षिण ड्रॉप-ऑफ क्षेत्र में प्रस्तावित कुल 17 पियरों में से 4 पियरों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तेजी से आगे बढ़ रहा है। डीआरएम श्री वेद प्रकाश ने कहा कि अहमदाबाद स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत दक्षिण एलिवेटेड रोड एवं सारंगपुर आरओबी की कनेक्टिविटी यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनाएगी। उन्होंने परियोजना से जुड़े अधिकारियों को निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों तथा निर्धारित समय-सीमा का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पश्चिम रेलवे का अहमदाबाद मंडल इस महत्त्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना को निर्धारित समय में उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

सूरत में बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने की रफ्तार तेज, एक ही दिन में 3,690 लाभार्थियों को 83.93 लाख रुपये की सहायता वितरित

सूरत। गुजरात के सूरत शहर और आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्य युद्धस्तर पर जारी है। जिला प्रशासन ने राज्य सरकार की राहत नीति के तहत प्रभावित परिवारों को शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है। लगातार सर्वेक्षण और नुकसान के आकलन के आधार पर पात्र परिवारों को चरणबद्ध तरीके से राहत राशि वितरित की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी बाढ़ पीड़ित परिवार को सहायता से वंचित नहीं रखा जाएगा और सर्वे पूरा होते ही नियमानुसार आर्थिक मदद उनके खातों तक पहुंचाई जाएगी।

जिला कलेक्टर तेजस परमार के मार्गदर्शन में राहत कार्यों की निगरानी लगातार की जा रही है। प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 12 जुलाई को केवल एक दिन में शहर के छह बाढ़ प्रभावित तालुकों में 3,690 लाभार्थियों को 83.93 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता वितरित की गई। इसमें तत्काल नकद सहायता (कैश डोल) के साथ-साथ घरेलू सामान और गृहस्थी के नुकसान के लिए मुआवजा भी शामिल है। प्रशासन का उद्देश्य प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाकर उन्हें सामान्य जीवन की ओर लौटने में सहायता देना है।

जिला प्रशासन के अनुसार अब तक छह प्रभावित तालुकों में कुल 20,745 बाढ़ प्रभावित लोगों को 4.68 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। राहत वितरण की यह प्रक्रिया लगातार जारी है और जैसे-जैसे नए सर्वे पूरे हो रहे हैं, वैसे-वैसे पात्र परिवारों को सहायता राशि जारी की जा रही है। प्रशासन ने कहा कि राज्य सरकार की निर्धारित राहत नीति के अनुसार प्रत्येक पात्र लाभार्थी को समयबद्ध तरीके से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

12 जुलाई को शाम पांच बजे तक राहत वितरण के पहले चरण में 2,459 लाभार्थी परिवारों को 22.13 लाख रुपये से अधिक की तत्काल नकद सहायता (कैश डोल) प्रदान की गई। यह सहायता उन परिवारों को दी गई है, जिन्हें बाढ़ के कारण तत्काल आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। तालुका-वार आंकड़ों के अनुसार कतारगाम में 28 परिवारों को 25,200 रुपये, पुणा में 849 लाभार्थियों को 7.64 लाख रुपये से अधिक, मजूरा में 184 लाभार्थियों को 1.65 लाख रुपये, अन्नामा में 108 लाभार्थियों को 97,200 रुपये, जबकि उधना में सर्वाधिक 1,290 परिवारों को 11.61 लाख रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की गई।

तत्काल नकद सहायता के अलावा जिला प्रशासन ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों के घरेलू सामान और गृहस्थी के नुकसान का भी विस्तृत सर्वे कराया है। सर्वे के आधार पर प्रभावित परिवारों को अलग से मुआवजा राशि वितरित की जा रही है। प्रशासन के अनुसार 12 जुलाई को शाम पांच बजे तक 1,231 लाभार्थियों को घरेलू नुकसान के लिए कुल 61.80 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। घरेलू नुकसान के मुआवजे के तहत कतारगाम में 14 परिवारों को 70 हजार रुपये, पुणा में 426 परिवारों को 21.30 लाख रुपये, मजूरा में 92 परिवारों को 4.60 लाख रुपये, अन्नामा में 54 परिवारों को 2.70 लाख रुपये तथा उधना में सर्वाधिक 645 परिवारों को 32.50 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। प्रशासन का कहना है कि जिन क्षेत्रों में अभी सर्वे का कार्य जारी है, वहां भी नुकसान का आकलन पूरा होते ही राहत राशि वितरित की जाएगी।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में क्षति का सर्वेक्षण अभी भी लगातार जारी है। कई स्थानों पर अधिकारी और सर्वे दल घर-घर जाकर नुकसान का आकलन कर रहे हैं ताकि कोई भी पात्र परिवार राहत से वंचित न रहे। प्रशासन ने कहा कि जिन परिवारों के मकानों, घरेलू सामान, आजीविका या अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, उन्हें राज्य सरकार के निर्धारित नियमों और मापदंडों के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रशासन का कहना है कि राहत वितरण के साथ-साथ प्रभावित क्षेत्रों में सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली, पेयजल आपूर्ति और आवश्यक सुविधाओं को सामान्य बनाने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन, नगर निकायों और विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमें लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं और नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने में जुटी हैं।

जिला कलेक्टर तेजस परमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राहत वितरण में पूरी पारदर्शिता और गति बनाए रखी जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवार तक सरकारी सहायता समय पर पहुंचे, यह प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि सर्वेक्षण कार्य शीघ्र पूरा कर लंबित मामलों का भी जल्द निस्तारण किया जाए।

प्रशासन को उम्मीद है कि राहत वितरण और पुनर्वास कार्यों की तेज गति से प्रभावित परिवारों को जल्द राहत मिलेगी और वे सामान्य जीवन की ओर लौट सकेंगे। राज्य सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि बाढ़ प्रभावित नागरिकों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और पुनर्वास प्रक्रिया पूरी होने तक प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ राहत कार्य जारी रखेगा।

अहमदाबाद ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

एएमसी ने भाड़ज में मियावाकी पद्धति से एक ही घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर बनाया विश्व रिकॉर्ड

▸▸ केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के गांधीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को 'हरियाली लोकसभा क्षेत्र' बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में अहमदाबाद महानगर पालिका की विशिष्ट उपलब्धि

▸▸ अभियान के अंतर्गत गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में 1.25 करोड़ पौधे और अहमदाबाद महानगर पालिका क्षेत्र में 50 लाख पौधे लगाने का संकल्प

▸▸ 25,000 से अधिक स्वयंसेवकों की भागीदारी से 76,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना हरियाली का नया इतिहास रचा गया

शनिवार : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर को 'हरियाली लोकसभा क्षेत्र' बनाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में अहमदाबाद महानगर पालिका (एएमसी) ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य के संकल्प को साकार करने के लिए अहमदाबाद महानगर पालिका ने रविवार को भाड़ज इलाके में आयोजित एक महाअभियान में मियावाकी पद्धति से केवल एक ही घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है।

लगभग 91,006 वर्ग मीटर क्षेत्र में आयोजित इस अभियान में 25,000 से अधिक वॉलंटियर्स यानी स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया, जिसके चलते यह विश्व रिकॉर्ड स्थापित हुआ है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और गांधीनगर लोकसभा के सांसद श्री अमित शाह की प्रेरणा से आज पूरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण अभियान चलाया गया।

उनके मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, शहरी विकास और शहरी गृह निर्माण मंत्री, महापौर, मुख्य सचिव, मनपा आयुक्त, अन्य पदाधिकारी और मनपा के अलग-अलग विभागों के अधिकारी एएमसी के उत्तर पश्चिम जोन के थलतेज वार्ड में टीपी 30, एफपी नं. 255 और 246, सत्वम हाइट्स के निकट, गोता-गोधावी कैनाल के बाजु में, भाड़ज, अहमदाबाद में लगभग 91,006 वर्ग मीटर क्षेत्र में से 76,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक ऐतिहासिक हरियाली अभियान के आयोजन में सहभागी हुए।

अहमदाबाद महानगर पालिका ने यहां मियावाकी पद्धति से एक ही स्थान पर एक ही घंटे में अलग-अलग 35 स्वदेशी प्रजातियों के 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है।

यह उपलब्धि अहमदाबाद शहर के पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के समान है।

विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने वाले इस

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मनपा के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों, स्कूल बोर्ड, बोचासणवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीएपीएस), 'कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई), पुलिस स्टाफ, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के छात्र, विभिन्न स्वैच्छिक संगठन (एनजीओ), शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों और शहर के नागरिकों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया।

25 हजार से अधिक नागरिकों की सक्रिय जनभागीदारी से यह महाअभियान सफल हुआ

इस वृक्षारोपण अभियान में स्थानीय स्वदेशी (इंडिजेनस) प्रजातियों के पर्यावरण-अनुकूल पौधों को शामिल किया गया। ये पौधे भविष्य में जैव विविधता के संरक्षण, वायु प्रदूषण में कमी, कार्बन अवशोषण, तापमान नियंत्रण तथा शहर के हरित आवरण में उल्लेखनीय वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

अहमदाबाद महानगर पालिका शहर को अधिक हरित, स्वच्छ, पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए लगातार विभिन्न पर्यावरण-उन्मुख गतिविधियां चला रही है। यह विश्व रिकॉर्ड केवल एक वृक्षारोपण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, स्वस्थ और हरित पर्यावरण देने के संकल्प का प्रतीक है।

नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और सामूहिक सहयोग से अहमदाबाद शहर में हरित आवरण बढ़ाने के ऐसे जनहितैषी अभियानों को आगामी समय में भी और गति दी जाएगी।

अहमदाबाद महानगर पालिका द्वारा आयोजित यह विश्व रिकॉर्ड अभियान केवल एक रिकॉर्ड बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जनभागीदारी, पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता और टिकाऊ शहरी विकास का जीवंत उदाहरण है।

इस अभियान में विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों (एनजीओ), शैक्षणिक, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं, पर्यावरण प्रेमियों और शहर के हजारों नागरिकों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लेकर हरित अहमदाबाद के संकल्प को और मजबूत बनाया है।

इस विश्व रिकॉर्ड के साथ अहमदाबाद ने वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण में अपनी एक नई पहचान बनाई है और एक हरित, स्वच्छ एवं टिकाऊ शहर के निर्माण की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने दिवंगत मोहनसिंह राठवा की प्रार्थना सभा में उपस्थित रहकर श्रद्धासुमन अर्पित किए

शनिवार : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल रविवार को पूर्व मंत्री एवं अग्रणी आदिवासी समाज सेवक दिवंगत श्री मोहनसिंह राठवा की प्रार्थना सभा में उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने छोटाउदेपुर स्थित श्री मोहनसिंह छोटूभाई राठवा आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज परिसर, पावी जेतपुर में आयोजित इस प्रार्थना सभा में दिवंगत श्री मोहनसिंह राठवा की तस्वीर के समक्ष श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें भावांजलि दी।

मुख्यमंत्री ने दिवंगत श्री मोहनसिंह राठवा के शोकाकुल परिवारजनों से रूबरू मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की।

प्रार्थना सभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश विश्वकर्मा, राज्यसभा सांसद श्री मुकेशभाई राठवा, सांसद सर्वश्री जशुभाई राठवा, मनसुख वसावा, विधायक सर्वश्री अभेसिंह तड़वी, जयंतीभाई राठवा, पूर्व लोकसभा सांसद श्रीमती गीताबेन राठवा, पूर्व रेल मंत्री श्री नारणभाई राठवा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, धर्मगुरु और बड़ी संख्या में नागरिकों ने दिवंगत मोहनसिंह राठवा को श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ-साथ दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

अहमदाबाद में 'मिशन फाइव मिलियन ट्रीज' अभियान को मिली गति

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 'हरियाली लोकसभा-गांधीनगर लोकसभा' के संकल्प के साथ पौधरोपण किया

शनिवार : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 'मिशन फाइव मिलियन ट्रीज' अभियान के अंतर्गत 'हरियाली लोकसभा-गांधीनगर लोकसभा' के संकल्प को साकार करने के लिए रविवार को अहमदाबाद के एपलवुड के निकट स्थित अहमदाबाद महानगर पालिका (एएमसी) के भूखंड पर पौधरोपण किया। एएमसी के इस अभियान का उद्देश्य शहर को और भी हरा-भरा और पर्यावरण-अनुकूल बनाना है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरक उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र को हरित, स्वच्छ एवं पर्यावरण-अनुकूल बनाने के संकल्प को और अधिक मजबूत बनाया गया। इस मौके पर सभी लोगों ने शहर में हरित आवरण को बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने और अगली पीढ़ी को स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण की भेंट देने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त की।

अहमदाबाद महानगर पालिका का 'मिशन फाइव मिलियन ट्रीज' अभियान शहर के

हरित आवरण को बढ़ाने, पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने तथा नागरिकों में वृक्षारोपण एवं पेड़ों के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बन रहा है। उपस्थित महानुभावों ने अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी देखभाल करने की अपील करते हुए 'हरियाली लोकसभा-गांधीनगर लोकसभा' के संकल्प को जनभागीदारी के जरिए सफल बनाने के लिए सभी से इसमें शामिल होने का अनुरोध किया।

कार्यक्रम में अहमदाबाद के महापौर श्री हितेशभाई बारोट, शहर भाजपा अध्यक्ष श्री प्रेरकभाई शाह, विधायकगण सर्वश्री अमितभाई ठाकर और बाबूभाई पटेल, अहमदाबाद मनपा आयुक्त श्री बंछानिधि पाणि सहित मनपा के वरिष्ठ अधिकारी, पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में नगरजनों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।

सूरत में नदियों पर अवैध दबाव और भ्रष्टाचार ने बाढ़ की समस्या को और भी बदतर बना दिया है, कार्रवाई की मांग की जा रही है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा)

सूरत।

सूरत शहर के वर्तमान कलेक्टर या 2000 से अब तक सेवा दे चुके कलेक्टरों ने शहर के हित में कभी भी शहर की स्थिति या दिशा के बारे में नहीं सोचा। हर साल सूरत शहर में जलमार्ग आते हैं। लेकिन शहर के किसी भी अधिकारी या बड़े राजनेता ने कभी इस दिशा के बारे में नहीं सोचा।

सूरत शहर की बात करें तो, यहाँ से होकर कई नदियाँ गुजरती हैं और हर साल इनमें बाढ़ आती है। इन बाढ़ों का मुख्य कारण नदियों के दोनों किनारों पर अवैध निर्माणों से उत्पन्न दबाव है, जिससे नदियों का प्रवाह बुरी तरह प्रभावित होता है। इसके चलते जल प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और निचले इलाकों में पानी भर जाता है। इस वजह से शहर के लगभग 45 निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। शहर में कलेक्टर, मामलातदार, राजस्व अधिकारी, सुदा अधिकारी, तलाटी आयुक्त, नगर सर्वेक्षण अधिकारी अपने एसी चैंबरों से बाहर नहीं निकलते और किसी को भी इस बात की परवाह नहीं है कि बाढ़ का पानी शहर के लिए एक गंभीर समस्या है। सरकारी अधिकारी, नगर निगम के शहरी विकास विभाग के अधिकारी लगातार बिल्डरों के दलालों से घिरे रहते हैं। वे ऋण के कामों में रुचि रखते हैं और इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। सूरत शहर की बारिश के पानी की नालियों की समय पर सफाई न होने के कारण शहर में बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के पापों के कारण शहर का उचित और शहरी विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। शहर से होकर गुजरने वाली खाड़ियों के दोनों किनारों पर अवैध निर्माण के कारण जल प्रवाह बाधित है, जिसके चलते 45 से अधिक नागरिकों की जान जा चुकी है। रंदर के गोरत इलाके में, जो अशांतधारा के अंतर्गत आता है, 11 ऊंची इमारतें बन चुकी हैं और निर्माणाधीन हैं। यहां घर बनवाने के लिए अशांतधारा की मंजूरी मिलना भी मुश्किल है। लेकिन राजहंस समूह का इतना दबदबा है कि वह देश के प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों से सीधे फोन पर संपर्क कर सकता है। सूरत शहर या गुजरात राज्य ही नहीं, बल्कि इस राजहंस समूह की परियोजनाएं देश के विभिन्न राज्यों में चल रही हैं।

राजहंस समूह, जिसका राजनीतिक प्रभाव बहुत अधिक है, ने कई ऊंची इमारतें बनवाई हैं और वर्तमान में भी बनवा रहा है। कलेक्टर और सूरत नगर निगम के अधिकारियों ने अशांतधारा की अनुमति से इस योजना को मंजूरी दे दी है। रंदर गोरत के अशांतधारा इलाके में बन रही इन इमारतों के आसपास की सोसाइटियों के निवासियों ने इसका विरोध किया है, लेकिन राजहंस समूह एक शक्तिशाली और प्रभावशाली समूह है।

इस इलाके के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इन अवैध निर्माणों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया है और अशांति अधिनियम के तहत काम रोकने और कलेक्टर को लिखित आवेदन देने की तैयारी कर रहे हैं। रंदर पुलिस इंस्पेक्टर सामाजिक कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे और उनसे कहा कि भाई, इस मामले में किसी विवाद में न पड़ें और न ही जनता को इकट्ठा करके हंगामा करें या धरना दें। आप जो भी कर रहे हैं, उससे पीछे हट जाएं। यही आपके हित में है। अन्यथा, हम असामाजिक तत्वों को झूठा भड़काएंगे और उन्हें झूठे मामले में फंसाकर जेल भेज देंगे। आप चुपचाप बैठे रहें, यही आपके लिए अच्छा है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री या बड़े-बड़े हस्तियों से जुड़े लोगों की परियोजनाओं को कौन रोक सकता है?

सूरत शहर के देवध गांव की 73AA जमीन, बलदेव राठौड़, रमीलाबेन राठौड़ की जमीन और जयंती सिंह और घनश्याम सिंह के देवध दखनवाड़ा की 40 से 45 बीघा जमीन पर बिल्डर एसएनएस ग्रुप की एक औद्योगिक परियोजना चल रही है। इसके अलावा, वरियाव और ओलपाड जैसे बड़े क्षेत्रों में, सूरत के हाल ही में स्थानांतरित कलेक्टर सौरभ परधी ने 73एए की भूमि जारी की थी और सूरत नगर निगम के अधिकारियों ने उस शहरी क्षेत्र की योजना को भी पारित कर दिया था जिसमें ऐसा स्थान स्थित था।

कुछ स्थानों पर, अत्याचार कानून का दुरुपयोग करके लोगों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं और रातोंरात जमीन खाली कराकर बिल्डरों को सौंप दी गई है। इस प्रकार, धारा 73AA के तहत जमीन का उद्देश्य बदला जा रहा है। कलेक्टर और सरकारी अधिकारी ऐसे कार्यों में शामिल हैं। एसएमसी अधिकारी, शहरी विकास अधिकारी तुरंत बिल्डरों को योजनाएं सौंप देते हैं और परियोजनाएं शुरू कर दी जाती हैं। जिसके कारण, जलजनित बाढ़ की समस्या में 45 निर्दोष लोगों की जान जाने के बावजूद, अधिकारियों ने इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया। सूरत स्थित विकास उपभोक्ता संरक्षण एवं अनुसंधान केंद्र ने मांग की है कि मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये तक की नकद सहायता दी जाए।

अगर भूपेंद्र दादा का बुलडोजर सूरत के नासिर नगर, राजकोट के जांगलेश्वर, अहमदाबाद के चंदोलो झील और राबारी बस्ती जैसे इलाकों में चल रहा है, तो सरकार सूरत की खाड़ियों पर हुए अवैध अतिक्रमणों और वार्ड नंबर 11 के अशांतधारा में स्थित 11 टावरों वाली 21 मंजिला ऊंची इमारतों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला रही है?